

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/490

दिनांक:- 10/8/17

कार्यालय आदेश

मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर-8, जोन 81 में उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम/अति० मुख्य अभियंता-प्रथम द्वारा सेक्टर-8, प्रताप नगर, योजना जयपुर में रिक्त प्लेटे 31 आधारशील भूखण्डों को प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से विस्तारित किए जाने की निर्देशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	प्रस्तावित आयवर्ग	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	विशेष विवरण
1.	81/133	LIG	86.400	Ordinary
2.	81/134	LIG	60.000	Ordinary
3.	81/135	LIG	60.000	Ordinary
4.	81/141	LIG	70.200	Corner
5.	81/142	LIG	72.000	Corner
6.	81/143	LIG	60.000	Ordinary
7.	81/144	LIG	60.000	Ordinary
8.	81/145	LIG	59.150	Ordinary
9.	81/146	LIG	58.750	Ordinary
10.	81/147	LIG	58.375	Ordinary
11.	81/148	LIG	60.000	Ordinary
12.	81/149	LIG	60.000	Ordinary
13.	81/150	LIG	60.000	Ordinary
14.	81/220	HIG	162.000	Ordinary
15.	81/221	HIG	162.00	Ordinary
16.	81/222	HIG	162.00	Ordinary
17.	81/223	HIG	159.300	Corner
18.	81/224	HIG	164.700	Corner
19.	81/225	HIG	162.000	Ordinary
20.	81/226	HIG	159.300	Ordinary
21.	81/252	HIG	218.00	Corner
22.	81/253	HIG	276.00	Ordinary
23.	84/407-A	HIG	187.740	Corner
24.	84/407	HIG	186.846	Ordinary
25.	Zone 83 B-1/A	HIG	113.640	Ordinary
26.	Zone 83 B-1/B	HIG	125.120	Ordinary
27.	Zone 83 B-1/C	HIG	137.640	Ordinary
28.	Zone 83 B-1/D	HIG	150.000	Ordinary
29.	Zone 83 B-1/E	HIG	162.520	Ordinary
30.	Zone 83 B-1/F	HIG	175.360	Ordinary
31.	Zone 83 B-1/G	HIG	189.830	Ordinary

(Handwritten signature)

उक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना है :-

1. आवासीय योजना में आवास/प्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/प्लेट अर्जित करने के निर्देश प्रदत्त कि वे हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलागी योग्य सभी आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इफजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस लक्ष्य को प्रमाणित भी किया जाये कि उस योजना में नीलागी योग्य अन्य आवासीय संघदा उपलब्ध नहीं हैं। राक्षम रकीकृति के उपरान्त, न्यूनतम विड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण सशित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलागी हेतु प्रस्तावित आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों वास्तु किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने वास्तु कोई आश्वासन/सपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम विड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्ण में रकीकृति/अस्वीकृति विड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त/~~रा.आ.म.~~ महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य संपदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव आवासन आयुक्त, रा.आ.म. जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता (मु०), प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.म. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/अति. मुख्य नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा.आ.म. जयपुर।
6. आवासीय अभियंता खण्ड-पंचम, रा.आ.म. जयपुर।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) रा.आ.म. जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता को मेल करे।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी/नागरिक सेवा केन्द्र, रा.आ.म. जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य संपदा प्रबंधक

D/Newfile Letter

Direct copy